



**व्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी  
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)**

//ज्ञापन//

क्रमांक/ १०१ प्र-२/अ.वि.आ.(रा.)/2022  
प्रति,

सुकमा, दिनांक ८६/८६/2023

प्रभारी अधिकारी  
(एन.आई.सी.)  
जिला-सुकमा(छ.ग.)

**विषय :-** ग्राम कांजीपानी से चिपुरपाल मार्ग के कि.मी. 2/4 गोरली नदी पर प्रस्तावित उच्चस्तरीय पुल-निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को राजस्व विभाग, छ.ग.शासन के वेबसाईट में अपलोड करने बाबत्।

--००--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम कांजीपानी से चिपुरपाल मार्ग के कि.मी. 2/4 गोरली नदी पर प्रस्तावित उच्चस्तरीय पुल-निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा दिनांक 20.05.2023 को ग्राम पंचायत कांजीपानी में जन सुनवाई आयोजित कर तथा अन्य सुसंगत अध्ययन कर सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है।

अतः धारा 6 के प्रावधान अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट को राजस्व विभाग, छ.ग.शासन के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है। कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

*Omnam*  
अनुविभागीय(अधिकारी (रा.)  
एवं भू-अर्जन अधिकारी  
सुकमा, जिला- सुकमा(छ.ग.)  
सुकमा, दिनांक ८६/८६/2023

पृ.क्रमांक/ १०१ प्र-२/अ.वि.आ.(रा.)/2022  
प्रतिलिपि:-

1 - कलेक्टर(भू-अर्जन शाखा), जिला-सुकमा(छ.ग.)की ओर सादर सूचनार्थ।

*Omnam*  
अनुविभागीय(अधिकारी (रा.)  
एवं भू-अर्जन अधिकारी  
सुकमा, जिला- सुकमा(छ.ग.)


कार्यालय कलेक्टर	
जिला-सुकमा (छ.ग.)	
N.T.C	
१०८ JUN २०२३	
प.अधि.	डिस्ट्रीक्स कलेक्टर
अधिकारी	जिला-सुकमा (छ.ग.)


प्ररूप – दो  
(नियम 18 देखिए)

भाग—क—पूर्व लिखित सहमति / घोषणा प्ररूप

संख्या	संबंधित व्यक्ति का विवरण		
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	सुखराम पिता रामधर जाति हल्बा सा. देह भुमि—स्वामी	
2	पति / पत्नी का नाम	—	
3	पिता / माता का नाम	रामधर	
4	पता	कांजीपानी	
5	ग्राम / बस्ती	कांजीपानी	
6	ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगरीय	कांजीपानी	
7	तहसील / तालुका	छिन्दगढ़	
8	जिला	सुकमा	
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित वयस्कों सहित)		
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	0.625	
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.040	
12	प्लाट नं.	ख.नं. — 740	
13	अधिकारों का अभिलेख	ख.नं. — 740	
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	—	
15	पट्टा / लीज / अनुदान, यदि कोई हो	—	
16	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो	—	
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मैं निम्नलिखित कथन करना चाहता हूँ (कृपया गोला लगाएं)		
	(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है / पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	हॉ	नहीं

	(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ ।	हॉ	नहीं
	(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ ।	हॉ	नहीं
18	<p>पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन, निबंधन एवं शर्त, प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्त प्रस्तुप से संलग्न होनी चाहिए ।</p>		

  
 प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा  
 अंगूठे का निशान और तारीख

  
**प्रधार्य**  
 हस्ताक्षरकार्य प्रशासन दलेवे बापूरामो स्मालिंहिर  
 जिल्हाविधानसभा सुकन्दरजिल्हा और चुक्गात (छ.ग.)  


प्ररूप – दो

(नियम 18 देखिए)

भाग-क-पूर्व लिखित सहमति/घोषणा प्ररूप

संख्या	संबंधित व्यक्ति का विवरण		
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	महादई पति सुकदास जाति हल्बा सा. देह भूमि-स्वामी	
2	पति/पत्नी का नाम	सुकदास	
3	पिता/माता का नाम	—	
4	पता	कांजीपानी	
5	ग्राम/बस्ती	कांजीपानी	
6	ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगरीय	कांजीपानी	
7	तहसील/तालुका	छिन्दगढ़	
8	जिला	सुकमा	
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित वयस्कों सहित)		
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	0.323	0.514
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.110	0.070
12	प्लाट नं.	ख.नं. – 742	ख.नं. – 743 / 4
13	अधिकारों का अभिलेख	ख.नं. – 742	ख.नं. – 743 / 4
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	—	
15	पट्टा/लीज/अनुदान, यदि कोई हो	—	
16	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो	—	
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मैं निम्नलिखित कथन करना चाहता हूँ (कृपया गोला लगाएं)		
	(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	हॉ	नहीं

	(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ ।	हॉ	नहीं
	(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ ।	हॉ	नहीं
		<u>भृदाद दु</u>	
18	पुनर्वासन और पुनर्ब्यस्थापन, निबंधन एवं शर्त, प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्त प्ररूप से संलग्न होनी चाहिए ।		<p style="text-align: center;">प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">हस्ताक्षर प्ररूप हाथ द्वारा प्रस्तुति की गई है।</p> <p style="text-align: right;">जिलमहानियन्त्रण वक्तुकमार्ग (अंगूठकमार्ग)।</p>

प्ररूप – दो  
(नियम 18 देखिए)

भाग—क—पूर्व लिखित सहमति/घोषणा प्ररूप

संख्या	संबंधित व्यक्ति का विवरण		
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	सुमित्रा बघेल/दशरो बघेल जाति—हल्बा सा.देह भूमि—स्वामी	
2	पति/पत्नी का नाम		
3	पिता/माता का नाम		
4	पता	कांजीपानी	
5	ग्राम/बस्ती	कांजीपानी	
6	ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगरीय	कांजीपानी	
7	तहसील/तालुका	छिन्दगढ़	
8	जिला	सुकमा	
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित वयस्कों सहित)		
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	0.880	
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.040	
12	प्लाट नं.	ख.नं. — 745	
13	अधिकारों का अभिलेख	ख.नं. — 745	
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	—	
15	पट्टा/लीज/अनुदान, यदि कोई हो	—	
16	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो	—	
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मैं निम्नलिखित कथन करना चाहता हूँ (कृपया गोला लगाएं)		
	(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	हॉ	नहीं

	(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ ।	हॉ	नहीं
	(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ ।	हॉ	नहीं
	 प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख		
18	पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, निबंधन एवं शर्तें, प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्तें प्ररूप से संलग्न होनी चाहिए ।		
	 <b>प्राप्ताचार्य</b> हस्ताक्षिकी ग्रन्थालय गोदापूर्ण प्राप्तिकार्तर जिलाधायिदायी क्षेत्रकार्यालय—मुकम्मा (मुकम्मा) <small>(मुकम्मा)</small>		

## भाग-ख-ग्राम सभा के संकल्प के लिये प्ररूप

हम, सुकमा जिले में छिन्दगढ़ तहसील/तालुका की कांजीपानी पंचायत के भीतर कांजीपानी की ग्राम सभा के अधोहस्ताक्षरित सदस्य कथन करना चाहते हैं कि, निम्नलिखित प्रमाणीकरण प्रशासन और पदधारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर है। यदि यह जानकारी अपूर्ण है या गलत है या यदि कोई सहमति किसी धमकी, कपट या मिथ्या निरूपण का प्रयोग करके प्राप्त की गई है, तो यह अकृत और शून्य है। इस आधार पर यह ग्राम सभा प्रमाणित करती है कि प्रस्तावित गोरली नदी सेतु निर्माण परियोजना को सहमति/सहमति से इंकार किया जाता है, जिसमें,

### 0.260 हेक्टेयर निजी भूमि का अर्जन।

परियोजना के लिये निरंक एकड़ सरकारी भूमि का अन्तरण।

परियोजना के लिये निरंक एकड़ वन भूमि का अन्तरण।  
अन्तर्वलित होंगे।

अपेक्षक निकाय लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर द्वारा सहमत प्रतिकर के निबंधन और शर्तें, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन के लाभ और सामाजिक समाधात शमन के उपाय संलग्न हैं।

ग्राम सभा यह भी कथन करती है कि कोई सहमति वनों पर और वन भूमि पर उनके व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार, जिसमें वह वन भूमि, जिस पर वे कृषि कर रहे हैं, के लिये उनका हक, लघु वन उत्पाद का उपयोग करने वाले सभी प्रकार के लिये स्वामित्व हक और अपने समुदाय वन की सुरक्षा करने और प्रबंध करने के लिये हक सम्मिलित है।

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों  
के हस्ताक्षर

संघिय  
ग्रा.प. कांजीपानी  
ज.पं. छिन्दगढ़, जिला-सुकमा  
कांजीपानी

संघिय  
सरपंच  
ग्रा.प. कांजीपानी  
ज.पं. छिन्दगढ़, जिला-सुकमा  
कांजीपानी

- ① अधिकारी रमेश बहूल
- ② हरीकरन लंगोई H.K.
- ③ महान्दुर लंगोई M.N.
- ④ सुल्तान लंगोई S.

शासकीय योगी स्वामित्वाधिकारिता  
सिसमित्वाधिकारी ग्राम सभा कांजीपानी जिला-सुकमा (आई.ए.म.) द्वारा दिया गया है।

प्रकृष्ट – तीन  
सामाजिक समाधार निर्धारण प्रतिवेदन

(नियम 23 देखिये)

1 परियोजना क्षेत्र की जनसंख्यिकी का विवरण :-

(क) कुल जनसंख्या	(एक) पुरुष	- 377	(दो) महिला	- 387
(ख) बच्चों की संख्या	(एक) पुरुष	- 212	(दो) महिला	- 220
(ग) जातिवार जनसंख्या	(एक) अ.ज.जा.	- 1094	(दो) अ.जा.	- 108
	(तीन) अ.पि.व.	- 54	(चार) अन्य	-
(घ) धर्मवार जनसंख्या	(एक) हिन्दू	- 1196	(दो) मुस्लिम	-
	(तीन) सिक्ख	-	(चार) ईसाई	-
	(पाँच) बौद्ध	-	(छ.) अन्य	-
2 गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या		- 158		
3 वृद्धावस्था पेशनरों की संख्या		- 74		
4 निराश्रित पेशनरों की संख्या		- 16		
5 निक्षर पुरुष एवं महिलाओं की संख्या		- 913		
6 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन				
7 प्रशासनिक संगठन				
8 राजनीतिक संगठन				
9 सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य				
10 भूमि का उपयोग :-				
	(एक) कृषि भूमि			
	(दो) पड़त भूमि			

कृषि भूमि

(तीन) सिंचित एक फसली भूमि  
(चार) सिंचित दुफसली भूमि  
(पांच) असिंचित भूमि

#### 11 जोत का आकार :—

- (एक) लघु कृषकों की संख्या  
(दो) सीमांत कृषकों की संख्या  
(तीन) कुल खातों की संख्या  
(चार) भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या  
(पांच) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या  
(तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक से दी जाये)

#### 12 पशुधन :—

- (एक) पशुधन की संख्या  
(दो) दृष्टारूप पशुधन की संख्या
- 13 प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार  
14 पलायन  
15 रोजगार में महिलाओं की भागीदारी  
16 खाद्य सुरक्षा  
17 अन्य स्थानीय रोजगार  
18 मजदूरी दर  
19 ऋण तक पहुँच  
20 परिवहन एवं सड़क  
21 सिंचाई

असिंचित भूमि

13

87/

204

22 बाजार तक पहुँच

23 पर्यटन स्थल

24 सहकारी संस्थाएँ

**25 रहने—सहन :—**

(एक) धारणाएं, सौदेयपक्तता मोह एवं अभिलाषा

(दो) गृह

(तीन) सामुदायिक एवं स्थिविल स्थान

(चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल

(पांच) भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सीवरेज सिस्टम इत्यादि)

(छः) लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएँ, आंगनबाड़ी, लोक वितरण सिस्टम इत्यादि)

(सात) सुरक्षा, अपराध एवं हिंसा

**महत्वपूर्ण समाधात क्षेत्र**

**1 भूमि जीविका और आय पर समाधात :—**

- (क) रोजगार के स्तर और प्रकार
- (ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके
- (ग) आय के स्तर
- (घ) खाद्य सुरक्षा
- (ङ.) जीवन निवाह का स्तर
- (च) उत्पादक संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण
- (छ) जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुँच

**2 भौतिक संसाधनों पर समाधात :—**

- (क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर समाधात
- (ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव

**3 निजी संपत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिता पर समाधात :-**

- (क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता
- (ख) गृह सुविधाओं की क्षमता
- (ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव
- (घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़कें, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली
- (ङ.) निजी संपत्तियों जैसे बोरवेल इत्यादि पर समाधात

**4 स्वास्थ्य समाधात :-**

- (क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाधात
- (ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाधात

**5 सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाधात :-**

- (क) स्थानीय राजनीतिक संरचना का लूपान्तरण
- (ख) जनसंस्थिकी परिवर्तन
- (ग) आर्थिक, पारिस्थिकी संतुलन में परिवर्तन
- (घ) मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाधात
- (ङ.) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप
- (च) विस्थापन का तनाव
- (छ) संयुक्त परिवारों के विखण्डन का समाधात

**6 चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाधात :-**

- (क) पूर्व-सन्निर्माण चरण
- (ख) सन्निर्माण चरण
- (ग) प्रवर्तन चरण

Influence (1)

三才圖會

(८) संचित समाधात् (प्रश्न में परियोजना के चिन्हाकित समाधात् क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाधात्)

तात्पुरता  
संक्षिप्त  
प्राप्ति

सदस्य ब्रजेश कुमार शर्मा  
गुप्तिभागीय अधिकारी  
लो.नि.वि. (स / स)  
उपसंभाग सुकमा

॥ अप्युपासना-संविद् ॥

श्रीमद्वैष्णवकल्पस्त्रीपार्वती  
श्रीरामप्रियं ग्रन्थं पद्मावती  
सदस्य  
श्री राजू नाग  
जि. प. सदस्य  
जिला पद्मावती सुकमा  
कांडीपानी

शासकीय शहरों का प्रबन्ध ज्ञानको तर  
या सार शहरी दिल्ली के काम (ए.व.)  
इतिवाचन भवित्वात् भवित्वात् भवित्वात्  
श्री सी.भूतपालराव

नियम 23(9) देखिये

सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाधात प्रबंधन योजना हेतु विषय-वस्तु की सारिणी

अध्याय	विषय-वस्तु	
कार्यकारी सार	<p>(क) परियोजना और लोक प्रयोजना</p> <p>(ख) स्थान</p> <p>(ग) भूमि अर्जन का आकार और विषेशता</p> <p>(घ) अनुकल्पों पर विचार</p> <p>(ङ.) सामाजिक समाधात</p> <p>(च) कमी करने के उपाय</p> <p>(छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण जिससे शिक्षा व्यापार एवं कृषि में वृद्धि</p>	<p>कांजीपानी से चिपुरपाल मार्ग के कि.मी. 2 / 4 गोरली नदी सेतु</p> <p>– कांजीपानी</p> <p>– 0.260 हें</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>– कोई नहीं है</p> <p>– न्यूनतम है। पुल के बन जाने से क्षेत्र का समुचित विकास होगा।</p>
परियोजना के विवरण का व्यौरा	<p>(क) परियोजना के पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित</p> <p>(ख) परियोजना का मूलाधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में परियोजना किस तरह लोक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, सूचीबद्ध मानदण्डों सहित</p> <p>(ग) परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पादन लक्ष्य, लागत, जोखिम का व्यौरा</p> <p>(घ) अनुकल्पों की परीक्षा</p> <p>(ङ.) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएँ</p> <p>(च) मूल डिजाइन की विशिष्टियाँ और सुविधाओं का आकार और प्रकार</p> <p>(छ) सहायक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता</p> <p>(ज) कार्यबल अपेक्षाएँ (अस्थाई और स्थाई)</p> <p>(झ) सामाजिक समाधात निर्धारण या पर्यावरण समाधात निर्धारण का व्यौरा, यदि पहले से किया गया है और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट</p>	<p>–</p> <p>– उपयुक्त है</p> <p>– जोखिम नहीं</p> <p>–</p> <p>– लगभग पूर्ण</p> <p>–</p> <p>– नहीं</p> <p>–</p> <p>–</p>

	(ज) लागू किए गए विधान और नीतिया ।	-
दल की संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाधात निर्धारण की अनुसूची	(क) दल की सभी सदस्यों की अहता सहित सूची, दल लिंग विशेषज्ञों सहित  (ख) सामाजिक समाधात निर्धारण हेतु सूचना संग्रहण के लिये प्रयोग में आने वाली प्रणाली का विवरण और मूलाधार तथा साधन  (ग) नमूना प्रणाली का उपयोग  (घ) सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यावलोकन ( विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्ररूपों में सम्मिलित करें )  (ङ.) प्रमुख पण्धारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाइयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची ( लोक सुनवाइयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निवेशन को रिपोर्ट में रखकर प्ररूपों में सम्मिलित किया जाना चाहिये )	- पृथक से संलग्न  - स्थल निरीक्षण द्वारा  -  - आवश्यक नहीं  - सहमति पत्र संलग्न
भूमि अवधारणा	(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोत—नक्शों की सहायता से वर्णन करें  (ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र ( अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नहीं है )  (ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि  (घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आसपास है, का उपयोग  (ङ.) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संक्रामित, पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लॉट का आशवित उपयोग  (च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण और स्थान  (छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि हो तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम  (ज) धारित भूमि का आकार, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवासीय सदनों की संख्या  (झ) भूमि की कीमत और स्वामित्व में नए परिवर्तन	-  -  - 0.260 हेए  -  -  - 0.260 हेए, कांजीपानी  - असिंचित, कृषि एक फसल  - 0.260 हेए  -

पिछले 3 वर्षों से भूमि का अंतरण और उपयोग		
<p>प्रभावित परिवारों एवं सप्तियों (जहाँ अपेक्षित हो का प्राक्कलन और प्रगणन)</p>	<p>निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन इस प्रकार से है—</p> <p>(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि अर्जन के लिए प्रस्तावित है)</p> <p>(एक) किराएदार है अथवा अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिभोगी है</p> <p>(दो) अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी, जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है</p> <p>(तीन) सामान्य भूमि स्रोतों पर आश्रित, जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी</p> <p>(चार) समुचित सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि सौंपी गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है</p> <p>(पांच) भूमि अर्जन से पूर्व, शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से रह रहे हैं</p> <p>(छ:) अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षों से जीविका का प्राथमिक स्रोत है, पर आश्रित है</p> <p>(ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाधात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है)</p> <p>(ग) उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमियों की तालिका</p>	
<p>सामाजिक आर्थिक और सांस्कृकि पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)</p>	<p>(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकी ब्यौरा</p> <p>(ख) आय एवं गरीबी स्तर</p> <p>(ग) दुर्बल समूह</p> <p>(घ) भूमि उपयोग और जीविका</p> <p>(ड.) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप</p> <p>(च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान है</p> <p>(छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन</p>	<p>— 03 कृषक</p> <p>—</p> <p>— कोई नहीं</p> <p>—</p> <p>— नहीं</p> <p>— नहीं</p> <p>— नहीं</p> <p>— नहीं</p> <p>— नहीं</p> <p>—</p> <p>— कुल जनसंख्या —</p> <p>कुल परिवार —</p> <p>— बीपीएल परिवार —</p> <p>—</p> <p>— कृषि एवं कृषि मजदूरी</p> <p>— बनोपज संग्रह</p> <p>—</p> <p>— जनजातिय पारिवारिक व्यवस्था</p>

	(ज) प्रशासनिक संगठन (झ) राजनैतिक संगठन (ञ) समुदाय-आधारित और सिविल सोसाइटी संगठन (ट) क्षेत्रिय संक्रियता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं (ठ) जीवन पर्यावरण की गुणवत्ता	- - ग्राम पंचायत - जातीय सामाजिक संगठन - - अच्छी
सामाजिक समाधात	(क) पहचान में आए समाधातों के लिए कार्य ढाँचा और दृष्टिकोण (ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाधातों का विवरण, जैसे स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति। प्रत्येक प्रकार के समाधात पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाधात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गों पर भेददर्शक समाधात और जहाँ लागू हो—आकलित समाधात। (ग) समाधात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित है भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी आस्तियाँ, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक संबंध तथा लिंग आधारित समाधात।	- कोई नहीं - कोई नहीं - कोई नहीं
लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिशें	(क) लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न-विस्थापित अनुकल्प तथा भूमि की न्यूनतम अपेक्षाएं, सामाजिक समाधात की प्रकृति और गहनता, शमन के उपायों की व्यवहार्यता और प्रतिकूल सामाजिक लागतों की व्याख्या के समाधान के बारे में अंतिम निष्कर्ष। (ख) उपरोक्त विश्लेषण नियम में वर्णित साम्या सिद्धांत का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर, कि क्या अर्जन होना चाहिए या नहीं, विश्लेषण की कसौटी के रूप में उपयोग किया जाएगा।	वृहत लोक प्रयोजन क्षति न्यूनतम है। प्रस्तावित अर्जन वृहत लोकहित में उपयोगी है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार में वृद्धि एवं समग्र विकास होगा। - अतः अर्जन होना चाहिए।
निर्देश एवं प्ररूप	निर्देश एवं आगे सूचना हेतु	

  
प्राधार्य

शासकीय शहीद आगूराव स्नातकोत्तर  
भाग्यविद्यालय सुकम्पजिला-सुकम्पा (छ.ग.)

  
सरपंच  
प्रा.पं. कांजीपाली  
ज.प. छिन्दगढ़ जिला-सुकम्पा